न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 3/2017 **दायर दिनांकः 01/09/2017**

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अपीलान्ट

बनाम

1. मदन पुत्र रामचन्द्र जाति खंगार निवासी मेहशपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. मूर्तिबाई पत्नी रामबाबू जाति मीना निवासी रामनिवास तहसील अटरू जिला बारां राज0।
3. सरपंच ग्राम पंचायत मेरमाचाह पंचायत समिति अटरू जिला बारां राज0।

रेस्पोटेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 (डी) राज.एल.आर.एक्ट

विरूद्ध इन्तकाल नम्बर 391 दिनांक 05.04.2016 ग्राम पंचायत मेरमाचाह

उपस्थिति :—

अपीलान्ट :— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

निर्णय

दिनाक : 12/06/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि इन्तकाल नम्बर 391 दिनांक 05.04.2016 को ग्राम पंचायत मेरमाचाह द्वारा विरूद्ध कानून तस्दीक किया गया है। वाके ग्राम महेशपुरा तहसील अटरू जिला बारां वर्तमान खाता संख्या 89 का कुल किता का रकबा 1.43 है0 आराजी में से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने हिस्सा 1/4 आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को बैचान कर दी विक्रेता रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की जाति खंगार है जो अनुसूचित जाति में आती है। तथा क्रेता सेस्पोडेन्ट क्रम 2 की जाति मीना है जो अनुसूचित जन जाति में आती है। उक्त आराजी का बैचान राज0 रे. एक्ट की धारा 42 बी के प्रावधान उल्लंघन है। तथा उक्त आराजी के बैचान का नामान्तरण संख्या 391 अवैधानिक एवं गैरकानूनी होने से खारिज फरमाया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट इन्तकाल 391 दिनांक 05.04.2016 को गैर कानूनी तरीके से तस्दीक करने के कारण खारिज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना माननीय न्यायालय की सहायता के करवाया जाना सम्भव नही है। अपीलान्ट को तत्कालीन पटवार हल्का मेरमाचाह श्रीमति लक्ष्मी सहरिया द्वारा दिनांक 28.02.2017 को नामान्तकरण संख्या 391 गलत दर्ज होने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त जानकारी हुई। जानकारी कि दिनांक से अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश की गई है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। अन्य कारण बवक्त बहक मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अपीलान्ट निवेदन करता है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल नम्बर 391 दिनांक 05.04.2016 को खारिज फरमाने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण 1 ल 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई पैरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी पैरोकार सरकार द्वारा अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया कि इन्तकाल नं0 391 दिनांक 05.04.2016 को ग्राम पंचायत मेरमाचाह द्वारा तस्दीक किया था जिसमें विक्रेता रेस्पो0 क्रम 1 की जाति खंगार है। जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है। तथा क्रेता रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की जाति मीना है। जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आती है। उक्त आराजी बैचान राज0 रे एक्ट की धारा 42 बी प्रावधान का उल्लंघन है। आराजी के बैचान का नामा0 संख्या 391 अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने से खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड नामान्तकरण रजिस्ट्री नकल अनुसार रेस्पो0 क्रम 1 की जाति खंगार है जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है। क्रेता रेस्पो0 क्रम 2 की जाति मीना है। जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आती है। पटवारी हल्का द्वारा खोला गया नामा0 व सरपंच द्वारा तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। जो राज0 रे0 एक्ट की धारा 42 बी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

अतः न्यायहित में अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है, नामान्तकरण संख्या 391 दिनांक 05.04.2017 अवैधानिक एवं गैर कानूनी होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार अटरू नामा0 संख्या 391 दिनांक 05.04.2016 निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2019.07.23 13:09:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: